तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थनापत्र पेश किया जो. [illegible] किया गया। प्रार्थी द्वारा [illegible] की ओर से [illegible] किया और संलग्न पत्रावली [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/01/25 को पेश हो	
17/01/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07/02/25 को पेश हो	
07/02/2025	आज [illegible] डी.एम साह[illegible] । पेशी [illegible] पत्रावली तारीख 12/3/25 [illegible]	
12/03/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते है समय दिया जाकर मिसल दिनांक 17/04/25 को पेश हो	
17/4/25	आज [illegible] एस.डी.एम साहब [illegible] हैं। पेशी इत्तवा को जाकर पत्रावली तारीख 20/5/25 को पेश हो।	
20/05/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते है बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर मिसल दिनांक 06/06/25 को पेश हो	
06/6/2025	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। उभय पक्ष वकील की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी नाबालिग का जायन्दा पुत्र है जिससे प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से ही हक बनता है। अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

करने पर आमादा है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि के [illegible] पर अधिकार रखता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनो बिंदु प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा-काश्त नही है। उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व मे दिनांक 13.07.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 06/6/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)